रजि0 डिक्लेरेशन नं 39093

नियमावली

डॉ0 एम.सी. ऋषि बिश्नोई 12.01.1999 को प्रदेशाध्यक्ष हरियाणा नियुक्त किए गए थे और 15.07.1999 को वह अध्यक्ष उत्तरी भारत बने। जनवरी 2006 में उन्हें राष्ट्रीय उपप्रधान नियुक्त किया गया। अब दिनांक 09.12.2007 को वह राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किए गए।

संदेश

नेताओं की कथनी और करनी में भारी अन्तर के कारण आज जनता का राजनेताओं से विश्वास उठता जा रहा है और आने वाला समय ऐसे व्यक्तियों का होगा जो समाजसेवा के साथ राजनीति करते हैं। हम सभी को एकजुट होकर मौजूदा चुनौतियों का मुकाबला करना है और इन्दिरा जी की दृढ़ता, राजीव गांधी जी की ईमानदारी व सोनिया गांधी जी के त्याग को सामने रखकर स्वच्छ राजनीति करनी है, तभी हमें सफलता मिलेगी।

दिनांक 09.12.2007

डॉ0 एम.सी.ऋषि बिश्नोई
राष्ट्रीय अध्यक्ष

अखिल भारतीय सोनिया गाँधी एसोसिएशन

1. संस्था का नाम : **अखिल भारतीय सोनिया गाँधी एसोसिएशन**
All India Sonia Gandhi Association

2. कार्यक्षेत्र : **समस्त भारतवर्ष**

नोट : श्रीमती सोनिया गांधी के जन्मदिवस दिनांक 09.12.1993 को नई दिल्ली में वीरभूमि राजीव गाँधी की समाधी पर प्रतिज्ञा लेकर इस एसोसिएशन का गठन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य समाजसेवा के साथ–साथ श्रीमती सोनिया गांधी की नीतियों का प्रचार करना है। उसी समय सर्वसम्मति से श्रीमती सोनिया गांधी को इसका मुख्य संरक्षक मनोनित किया गया।

3. **उद्देश्य** :

सामाजिक :

(क) यह एसोसिएशन एक समाजसेवी संगठन है। जनता में स्वयं सेवा संगठित कार्य और आत्म निर्भता आदि भावनाएँ पैदा करना है और उनका विकास महात्मा गांधी की विचाराधारा के अनुरूप करना जिसका लक्ष्य विकासशील आदर्श नागरिकता व समाजसेवा है।

(ख) निःशुल्क महिला सिलाई केन्द्र स्थापित करना व निर्धन वर्ग के लिए निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाना।

(ग) देश की एकता, अखण्डता और लोकतन्त्र की रक्षा के लिए व अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए ग्राम स्तर तक समितियों का गठन करना।

(घ) भ्रष्टाचार को खत्म करने हेतु आवश्यक ज्ञान का प्रचार करना।

(ड़) भ्रुण हत्या व नौजवानों में फैल रही नशे की कुरीतियों से जनता को जागरूक करना।

(च) जाति–पाति के भेदभाव को मिटाना।

(छ) आर्थिक रूप से कमजोर छात्र व छात्राओं को छात्रवृति देना।

(ज) भारतीय संस्कृति के प्रति जनता में जागरूकता उत्पन्न करना।

(झ) एसोसिएशन के कार्यक्रमों को पूरा करने के लिए दान व चन्दा प्राप्त करना।

राजनैतिक :

(क) इन्दिरा जी की दृढ़ता, राजीव गांधी की ईमानदारी व सोनिया गांधी के त्याग को सामने रखकर समाजसेवा व राजनीति करनी है और यह एसोसिएशन नेहरू गांधी परिवार के प्रति निष्ठा रखती है। अपना पूरा समर्थन श्रीमती सोनिया गांधी को देकर उनके हाथों को मजबूत करेगी। एसोसिएशन के योग्य पदाधिकारियों को चुनावों में टिकट देने के लिए श्रीमती सोनिया गांधी से प्रार्थना की जाएगी और योग्य कार्यकर्ताओं को विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए उत्साहित किया जाएगा और उनकी पूरी मदद की जाएगी। यदि श्रीमती सोनिया गांधी इस संगठन को भंग करने के निर्देश दें या कांग्रेस सरकारें व कांग्रेस संगठन के प्रदेशाध्यक्ष इसके कार्यकर्ताओं को मानसम्मान ना दें तब इसे भंग करने का या स्वतन्त्र रूप से भाग लेने का निर्णय समय के अनुसार राष्ट्रीय अध्यक्ष के विवेक पर निर्भर करेगा

4. संरक्षक :–

राष्ट्रीय स्तर पर 2 संरक्षक मनोनित किये जा सकते हैं। प्रदेश में एक संरक्षक मनोनित किया जा सकता है।

नियमावली

1. सदस्यता :–

18 वर्ष की आयु से ऊपर के सभी महिला व पुरूष जिनकी आस्था समाजसेवा के कार्यक्रमों में होगी वह इसका सदस्य बन सकता है। इस एसोसिएशन के तीन प्रकार के सदस्य होंगे। प्रत्येक प्रदेश कार्यालय से कार्यालय समय में सदस्यता फार्म प्राप्त किए जा सकते हैं।

(क) **साधारण सदस्य** :– कोई भी व्यक्ति जिसकी एसोसिएशन में आस्था में वह इसका निःशुल्क साधारण सदस्य बन सकता है परन्तु वह पदाधिकारी व कार्यकारिणी का सदस्य नहीं बन सकता।

(ख) **क्रियाशील सदस्य** :– जो सदस्य 20 रूपये वार्षिक देंगे वे क्रियाशील सदस्य होंगे। जिला व ब्लॉक कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारी क्रियाशील सदस्य होंगे। तीन वर्ष का सदस्यता शुल्क इक्टठा लिया जाएगा।

(ग) **डेलीगेट सदस्य** :– जो सदस्य 50 क्रियाशील सदस्य बनाएगा वह डेलीगेट सदस्य होगा। ब्लॉक प्रधान, जिला प्रधान, जिला प्रधान प्रकोष्ठ, प्रदेश कार्यकारिणी के पदाधिकारी व सभी उच्च पदाधिकारी बनने के लिए डेलीगेट सदस्य होना आवश्यक है।

नोट : सदस्य के त्याग पत्र देने या निष्काशित किये जाने पर सदस्यता शुल्क व अनुदान वापिस नहीं होगा। राष्ट्रीय पदाधिकारी एवं प्रदेश अध्यक्ष वही व्यक्ति बन सकता है जो प्रत्येक वर्ष 100 क्रियाशील सदस्य स्वयं बनाएगा। प्रदेश प्रधान प्रकोष्ठ व कार्यकारी प्रदेश प्रधान को क्रियाशील सदस्य त्रिवार्षिक बनाने होंगे। प्रत्येक प्रदेश में कम से कम 5000 क्रियाशील सदस्य बनाने आवश्यक होंगे अधिक कितने भी हो सकते हैं।

2. सदस्य की अयोग्यता :–

कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से योग्य होते हुए भी निम्न दिशाओं में अयोग्य समझा जायेगा तथा उसकी सदस्यता समाप्त हो जायेगी।

(क) अपराध में न्यायालय द्वारा अंतिम रूप से दंडित हो।

(ख) मस्तिष्क का संतुलन खो गया हो।

(ग) एसोसिएशन के उद्देश्यों की प्रति विश्वास न रखता हो।

3. प्रतिज्ञा :–

(क) प्रत्येक सदस्य को यह प्रतिज्ञा लेनी होगी।

मैं ..... अखिल भारतीय सोनिया गांधी एसोसिएशन का पदाधिकारी होने के नाते सच्चाई के साथ यह प्रतिज्ञा कर रहा/रही हूँ कि मैं संस्था में रहकर इसके उदेश्यों के अनुसार अपनी पूर्ण शक्ति से अपने देश व देशवासियों की सेवा करूंगा/करूंगी। मैं जिन अधिकारियों कि अधिनता में रहुंगा/रहुंगी उनकी आज्ञाओं तथा संस्था द्वारा समय–समय पर निर्धारित नियमों और व्यवस्थाओं का सर्वथा पालन करूंगा/करूंगी। मैं नेहरू गांधी परिवार के प्रति वफादार रहूंगा/रहूंगी।

(ख) राष्ट्रीय महासचिव, जोन अध्यक्ष, सभी प्रदेशाध्यक्षों, सभी प्रदेश महासचिवों व प्रभारियों को एसोसिएशन की प्रतिज्ञा के साथ–साथ पद की गोपनीयता और

राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रति निष्ठा की शपथ लेनी होगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा राष्ट्रीय महासचिव, जोन अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्षों, प्रदेश महासचिवों, प्रदेश कार्यकारी प्रधान, प्रदेश प्रकोष्ठ प्रधानों व प्रभारियों के साथ किये गये पत्र व्यवहार, टेलीफोन व मुबाईल पर की गई बातचीत व भेजे गये संदेश व निर्देश गोपीनीयता की परिधी में आते है।

4. संगठन :–

(क) **राष्ट्रीय कार्यकारिणी** :– संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यकाल उनके 75 वर्ष की आयु पूरी करने तक या जब तक वह कार्य करने योग्य होगा तब तक का होगा वह अपना उत्तराधिकारी स्वयं नियुक्त करेगा। परन्तु वह कम से कम किसी प्रदेश का 6 वर्ष तक प्रदेशाध्यक्ष रहा हो और जोन अध्यक्ष या कार्यकारी जोन अध्यक्ष के रूप में उसने 6 वर्ष कार्य किया हो। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पदाधिकारियों व कार्यकारिणी सदस्यों की संख्या साधारणतया 51 होगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष, वरिष्ठ उपप्रधान/जोन अध्यक्ष–4, उपप्रधान–10, महासचिव–7, कोषाध्यक्ष, संगठन सचिव–8, प्रैस सचिव/प्रवक्ता–4, सचिव–8, संयुक्त सचिव–8, राष्ट्रीय कार्यकारिणी का कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। वरिष्ठ उपप्रधान प्रथम अध्यक्ष की अनुपस्थिति में कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पदों की संख्या प्रथम बार 20 प्रतिशत तक बढ़ाई जा सकती है और अधिकतम 101 तक हो सकती है।

नोट : राष्ट्रीय अध्यक्ष को किसी भी प्रस्ताव को विटो करने का अधिकार होगा।

(ख) **राष्ट्रीय नीति निर्धारक हाई पावर कमेटी** :– राष्ट्रीय कार्यकारिणी में से राष्ट्रीय अध्यक्ष 8 पदाधिकारियों की अपनी अध्यक्षता में एक नीति निर्धारक हाई पावर कमेटी का गठन करेगा। इसकी प्रत्येक दो माह में एक मीटिंग होगी और इसका कार्यकाल 3 वर्ष होगा। इस कमेटी में दो राष्ट्रीय वरिष्ठ उपप्रधान, दो राष्ट्रीय उपप्रधान, दो राष्ट्रीय महासचिव, एक राष्ट्रीय संगठन सचिव, एक सचिव सदस्य होंगे। मीटिंग का कोरम 1/3 होगा।

(ग) **राष्ट्रीय पोलीटिकल एडवाईजरी कमेटी** :– चेयरमैन जोन अध्यक्ष प्रथम होंगे और उसमें 10 सदस्य होंगी। जिसमें से 4 राष्ट्रीय कार्यकारिणी से, 6 प्रदेश अध्यक्षों या अन्यों में से लिए जाएंगी। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष व राष्ट्रीय कार्यकारिणी को राजनीति पर सलाह देगा। इन सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष करेंगे। अन्य इनका कार्यकाल राष्ट्रीय अध्यक्ष के विश्वास पर निर्भर रहेगा। मीटिंग का कोरम 1/3 होगा। **मीटिंग दिल्ली या हिसार कार्यालय में होगी।**

(घ) **जोन स्तर** :– संगठन को 4 जोनों में बांटा गया है।

जोन नं. 1 (उत्तरी भारत) = जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, चण्डीगढ़, राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश।

जोन नं. 2 (पश्चिमी भारत) = महाराष्ट्र, गुजरात, मध्यप्रदेश, गोवा, झारखण्ड, छत्तीसगढ़।

जोन नं. 3 (पूर्वी भारत) = बिहार, आसाम, नागालैड, बंगाल, मेघालय, मणीपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरूणाचल प्रदेश, सिक्कम।

जोन नं. 4 (दक्षिण भारत) = कर्नाटक, केरल, पाण्डीचेरी, तमिलनाडु, आंध्राप्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा।

जोन अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष करेंगे और इसका 3 वर्ष का कार्यकाल

होगा। जोन अध्यक्ष को राष्ट्रीय वरिष्ठ उपप्रधान भी कहा जाएगा।

(ड़) **प्रदेश स्तर** :– प्रदेशाध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा तीन वर्षों के लिए की जायेगी। 51 सदस्यों की प्रदेश कार्यकारिणी का गठन प्रदेशाध्यक्ष करेंगे। प्रदेशाध्यक्ष, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष 1, उपप्रधान 6, महासचिव 6, संगठन सचिव 7, कोषाध्यक्ष, प्रैस सचिव 4, सचिव 10, संयुक्त सचिव 12 व कार्यकारिणी सदस्य 03 होंगे। कार्यकारिणी का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा।

(च) **जिला स्तर** :– जिला प्रधान की नियुक्ति प्रदेशाध्यक्ष तीन वर्ष के लिए करेगा। जिला कार्यकारिणी में प्रधान, उपप्रधान 4, महासचिव 4, संगठन सचिव 3, कोषाध्यक्ष, प्रैस सचिव 2, सचिव 6, कार्यकारिणी सदस्य 29 होंगे।

(छ) **विधानसभा स्तर** :– हल्का प्रधान की नियुक्ति प्रदेशाध्यक्ष तीन वर्ष के लिए करेंगे। हल्का कार्यकारिणी में प्रधान, उपप्रधान 4, महासचिव 3, संगठन सचिव–3, कोषाध्यक्ष, प्रैस सचिव 2, सचिव 6 और कार्यकारिणी सदस्य 30 होंगे।

नोट : उपरोक्त सभी पदों में से 50 प्रतिशत तक राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्तियां कर सकता है और शेष ब्लॉक प्रधान, जिला प्रधान व प्रदेश कार्यकारिणी सदस्यों का चुनाव डेलीगेट मैम्बर की वोट से होगा। **सभी पद अवैतनिक होंगे** और पदों का आरक्षण राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अनुसार होगा। राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य बनने के लिए उन्हें 50–50 क्रियाशील सदस्य बनाने होंगे। राष्ट्रीय महासचिव प्रथम, प्रदेश महासचिव प्रथम का पद महिला के लिए आरक्षित होगा। सभी स्तरों पर 15 प्रतिशत महिलाएं, 10 प्रतिशत युवा, 10 प्रतिशत अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग के सदस्य होंगे। प्रदेश प्रकोष्ठ प्रधानों व कार्यकारी प्रधानों, प्रदेश पदाधिकारियों, जिला प्रधानों व हल्का प्रधानों को नियुक्ति पत्र तब मिलेंगे जब वह सदस्यता कापियां कार्यालय में जमा करवा देंगे। प्रथम बार नियुक्त होने वाले जोन अध्यक्षों का कार्यकाल दो वर्ष होगा। कार्य संतुष्ट होने पर उनका कार्यकाल बढेगा। सभी जोन अध्यक्षों, सभी राष्ट्रीय पदाधिकारियों व सभी प्रदेशाध्यक्षों को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय कार्यालय में अनुदान देना होगा।

5. साधारण सभा के अधिकार एवं कर्तव्य :–

सभी क्रियाशील सदस्यों से साधारण सभा का गठन होता है और यह एसोसिएशन के लिए नीति निर्धारण एवं विकास सम्बन्धी सभी कार्यों की देखभाल करना, एसोसिएशन के त्रिवार्षिक बजट पास करना, एसोसिएशन की उन्नति के लिए नवीन योजनाएं पास करना।

6. साधारण सभा की बैठक कोरम तथा सूचना :–

साधारण सभा की तीन वर्ष में एक बैठक होगी जिसे महाधिवेशन कहा जाएगा। बैठक का कोरम सदस्यों का 1/3 होगा। बैठक की सूचना सदस्यों को 14 दिन पूर्व दी जायेगी।

7. कार्यकारिणी समिति की बैठकें, कोरम तथा सूचना :–

राष्ट्रीय व प्रदेश कार्यकारिणी सभा की वर्ष में एक बार बैठक आवश्यक होगी। आवश्यकता पड़ने पर बैठकें अधिक भी हो सकती हैं। बैठक का कोरम सदस्यों का 1/3 भाग होगा। बैठक की सूचना सदस्यों को 14 दिन पूर्व दी जायेगी। आवश्यक बैठक के लिए 7 दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक है।

8. राष्ट्रीय नीति निर्धारक हाई पावर कमेटी :–

राष्ट्रीय स्तर पर यह एसोसिएशन की सवोच्च नीति निधारक कमेटी है। सभी प्रकार के निर्णय लेना व उन्हें लागू करने का अधिकार इसके पास है।

9. **कार्यकारिणी समिति के अधिकार तथा कर्तव्य :–**
एसोसिएशन द्वारा निर्धारित नीतियों को क्रियांवित करना, विशेष अथवा महत्वपूर्ण परिस्थितियां उत्पन्न होने पर निर्णय लेना और क्रियांवित करना, एसोसिएशन के आय व व्यय की स्वीकृति प्रदान करना।

10. **राष्ट्रीय अध्यक्ष के अधिकार तथा कर्तव्य :–**
राष्ट्रीय स्तर पर सर्वोच्च पदाधिकारी है तथा राष्ट्रीय स्तर पर सभी प्रकार के अधिकर उसे प्राप्त हैं। कार्यपालिका के समस्त अधिकार राष्ट्रीय अध्यक्ष में निहीत होंगे। जिन कार्यों के बारे में किसी भी विषय पर नियमावली में निर्णय लिखित रूप में नहीं है। उस विषय पर राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा जारी आदेश ही नियम हैं। उसका निर्णय अन्तिम होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी भी स्तर पर नियुक्ति कर सकता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी स्तर की कमेटी को पुनर्गठन करने के लिए भंग कर सकता है। अध्यक्ष की आज्ञा से साधारण सभा व कार्यकारिणी की बैठक होगी, उनकी अध्यक्षता करना तथा कार्यवाही का संचालन करना, व्यवस्था तथा निर्णय देना, बैठकों के लिए तिथि, स्थान एवं एजेण्डा की स्वीकृति प्रदान करना, कोरम के अभाव में बैठक को स्थगित करना, एसोसिएशन के लिए चन्दा, अनुदान आदि प्राप्त करना तथा विधिपूर्वक रसीद देना, एसोसिएशन में पदाधिकारी नियुक्त करना हटाना व कार्य बांटना और कर्मचारियों को नियुक्त करना या हटाना। प्रदेशों के सभी स्तरों के संगठन चुनावों की निगरानी करना।

11. **जोन अध्यक्ष के अधिकार तथा कर्तव्य :–**
जोन अध्यक्ष को अपने–अपने जोन क्षेत्र में सभी सामान्य रूप से वे अधिकार प्राप्त हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष को प्राप्त है।

12. **प्रथम महासचिव के अधिकार तथा कर्तव्य :–**
राष्ट्रीय अध्यक्ष के आदेशों पर अम्ल करना। सभी पदाधिकारियों के कार्य पर निगरानी रखना। अध्यक्षा द्वारा सोंपे गये कार्यों के प्रति सम्बन्धित पदाधिकारियोंको आदेश देना इस प्रकार प्रदेश प्रधान महासचिव के कार्य होगें। **प्रथम महासचिव का कार्यकाल राष्ट्रीय अध्यक्ष के विश्वास पर रहेगा।** राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रति निष्ठा की प्रतिज्ञा भंग होना या अनुशासनहीनता में आने पर उसका कार्यकाल समाप्त हो जायेगा।

13. **उपप्रधान के अधिकार तथा कर्तव्य :–**
समाज सेवा कार्यों के लिए जनसम्पर्क करेंगे तथा चन्दा इकट्ठा करेंगे और प्रभारी के रूप में भी कार्य करेंगे।

14. **महासचिव के अधिकार तथा कर्तव्य :–**
बैठकों की सूचना एजेण्डा सहित, बैठकों की कार्यवाही लिखना तथा समस्त कागजात को सुरक्षित रखना, अध्यक्ष द्वारा सौंपे गए कार्यों की देखभाल करेंगे तथा एसोसिएशन की ओर से समस्त प्रकार का पत्र व्यवहार करेंगे। सभी महासचिव प्रभारी के रूप में कार्य करेंगे। **महासचिवों का कार्यकाल अध्यक्ष के विश्वास पर रहेगा।**

15. **संगठन सचिव :–** संगठन को मजबूत करने में कार्य करेंगे और प्रभारी के रूप मे भी कार्य करेंगे।

16. **कोषाध्यक्ष :–** आय, व्यय का हिसाब रखेंगे।

17. **प्रैस सचिव** :– एसोसिएशन के विषय में प्रचार करेंगे और प्रैस को जानकारी देंगे।

18. **सचिव** :– सौंपे गए कार्यों को देखेंगे और नए सदस्य बनाने के लिए जनसम्पर्क करेंगे।

19. सभी जोन अध्यक्ष अपनी–अपनी जोन के सभी प्रदेशों के प्रभारी भी होंगे और राष्ट्रीय स्तर के अन्य पदाधिकारी जिनको राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सहप्रभारी के रूप में कार्यभार दिया है वह सम्बन्धित प्रदेशों के संगठन व कार्य की पूरी निगरानी रखेंगे और सम्बन्धित पदाधिकारियों को कार्य के बारे में निर्देश व सलाह देंगे। संगठन का गठन पूर्ण होने पर अपने प्रभार के क्षेत्र में एसोसिएशन के समाजसेवी कार्यों को लागू कराएंगे। प्रभारी एवं सहप्रभारी अपने क्षेत्र के किसी भी सदस्य को पदाधिकारी बनाने व किसी के ठीक प्रकार से कार्य न करने के कारण हटाने की सिफारिश राष्ट्रीय अध्यक्ष को कर सकते हैं। **प्रभारी एवं सहप्रभारी का कार्यकाल राष्ट्रीय अध्यक्ष के विश्वास पर निर्भर है।**

20. राष्ट्रीय, प्रदेश, जिला व हल्का कार्यालय सम्बन्धित अध्यक्ष की इच्छा अनुसार उस क्षेत्र के किसी भी स्थान पर हो सकता है।

21. किसी भी विवाद का न्यायक्षेत्र सम्बन्धित राष्ट्रीय मुख्यालय का न्यायक्षेत्र होगा और एसोसिएशन की ओर से समस्त प्रकार की न्यायालय से सम्बन्धित कार्यवाही महासचिव करेगा और पक्ष विपक्ष के मुकदमें भी महासचिव के नाम से दायर किए जाएंगे। अध्यक्ष इस कार्य के लिए किसी भी महासचिव को अधिकृत करेंगे और अधिकृत किया हुआ महासचिव ही यह कार्य कर सकेगा।

22. एसोसिएशन के पदाधिकारियों को अपनी नियुक्ति के समय प्रति वर्ष अपना **वार्षिक अनुदान** अपनी शुद्ध आय का एक प्रतिशत या जैसा प्रदेश अध्यक्ष अपने–अपने प्रदेश में वार्षिक अनुदान निश्चित करेंगे के अनुसार जमा करवाना होगा। अनुदान व वार्षिक सदस्यता शुल्क प्रति वर्ष दिसम्बर/जनवरी माह में जमा होगा। अनुदान व शुल्क जमा ना करवाने वाले पदाधिकारी का पद समाप्त हो जाएगा। महिलाओं व अनुसूचित व पिछड़ा वर्ग के पदाधिकारियों का अनुदान 50 प्रतिशत होगा। राष्ट्रीय पदाधिकारी व प्रदेशाध्यक्षों को कम से कम 2000/– रूपये प्रति वर्ष अनुदान देना अनिवार्य होगा।

23. एसोसिएशन के राष्ट्रीय कार्यकारिणी से लेकर प्रदेश अध्यक्षों को राष्ट्रीय अध्यक्ष से, प्रदेश कार्यकारिणी जिला प्रधान व ब्लाक प्रधान को प्रदेश प्रधान से पहचान पत्र मिलेंगे। नियुक्ति रद्द होने पर पहचान पत्र वापिस करना होगा।

24. सदस्यता शुल्क 50 प्रतिशत प्रदेश में व 50 प्रतिशत राष्ट्रीय कार्यालय में जाएगा और प्रदेश में सामाजिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जो चन्दा इक्ट्ठा किया जाएगा उसमें 30 प्रतिशत प्रदेश में, 10 प्रतिशत राष्ट्रीय में, 60 प्रतिशत सम्बन्धित जिला में रहेगा। सभी प्रदेश पदाधिकारी व जिला पदाधिकारी अपने–अपने क्षेत्रों में प्रदेश कार्यालय द्वारा जारी कूपनों पर चन्दा इकट्ठा करेंगे।

25. प्रत्येक जिले व ब्लाक में अधिकृत सदस्य 50 होंगे। इनकी सदस्यता शुल्क प्रदेश कार्यालय में जमा होगी। इससे अधिक जितने भी सदस्य जिला प्रधान व ब्लाक प्रधान बनायेंगे उसका 50 प्रतिशत सदस्यता शुल्क हल्का या जिला के कोषाध्यक्ष के पास जमा रहेगा। जिससे उस ब्लॉक व जिले का खर्चा चल सके।

26. राष्ट्रीय क्षेत्र में एसोसिएशन के प्रचार के लिए मासिक हिन्दी पत्रिका होगी। जो राष्ट्रीय मुख्यालय से प्रकाशित होगी। इसका वार्षिक शुल्क 500/– रूपये होगा और यह ब्लॉक से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के सभी पदाधिकारियों को भेजा जाएगा। पदाधिकारियों के लिए इसका सदस्य बनना अनिवार्य है। शुल्क सीधा सम्पादक के नाम से भेजना है या राष्ट्रीय कार्यालय में जमा करवाना होगा।

27. एसोसिएशन की आय के साधनों में सदस्यता शुल्क, दान, अनुदान व चन्दा आदि है।

सदस्यता शुल्क व पदाधिकारियों का वार्षिक अनुदान का प्रयोग कार्यालय के खर्च व एसोसिएशन के प्रचार पर होगा और चन्दा व दान द्वारा प्राप्त धन एसोसिएशन के समाजसेवी कार्यों पर खर्च किया जाएगा।

28. आय–व्यय की जांचके लिए आडिटर या कमेटी की नियुक्ति की जाएगी जो जांच करके अपनी रिपोर्ट प्रदेश अध्यक्ष को देगा। जिसे वह साधारण सभा की मीटिंग में पेश करेगा।

29. एसोसिएशन का रूपया किसी मान्यता प्राप्त बैंक में रखा जाएगा तथा अध्यक्ष के हस्ताक्षर से ही निकाला जाएगा। कैश इन हैंड राष्ट्रीय कार्यालय में 2,00,000/– रूपये व प्रदेश कार्यालय में 50,000/– रूपये हो सकता है। कैश हैंड से अधिक राशि होने पर बैंक में जमा करवाई जाए।

30. एसोसिएशन का वर्ष प्रथम जनवरी से 31 दिसम्बर तक होगा।

31. सभी प्रदेश अध्यक्ष, सभी जिला प्रधान व ब्लाक प्रधान अपनी नियुक्ति के तीन माह के अन्दर–अन्दर अपनी–अपनी कमेटियों का पूरा गठन करेंगे। यदि इस समय काल में उन्होंने अपना काम पूरा ना किया तो उनकी नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी।

32. राष्ट्रीय अध्यक्ष व प्रदेश अध्यक्ष को अधिकार है कि वह अपने द्वारा नियुक्त किए गए पदाधिकारी के कार्यकाल में बढ़ौतरी कर सकते हैं या कार्य संतोषजनक न होने पर उसके कार्यकाल में कमी या उसके पद से हटा सकते हैं। किसी भी क्रियाशील सदस्य की सदस्यता समाप्त करने का अधिकार केवल राष्ट्रीय अध्यक्ष को है।

33. एक व्यक्ति एक से अधिक पदों पर एसोसिएशन में नियुक्त हो सकता है। परन्तु ऐसी नियुक्तियां करने का अधिकार राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास है।

34. राष्ट्रीय अध्यक्ष तीन लाख, प्रदेश अध्यक्ष 50 हजार रूपये प्रति वर्ष अपनी इच्छा से एसोसिएशन के प्रचार के लिए खर्च कर सकते हैं। जिसके हिसाब का अलग से रजिस्टर होगा।

35. राष्ट्रीय कार्यकारिणी का कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। प्रदेश कार्यकारिणी का जिला व ब्लॉक कार्यकारिणी का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा।

36. साधारण सभा तथा कार्यकारिणी बैठकों में यदि कोरम पूरा नहीं होता है तो बैठकें स्थगित कर दी जायेगी व अगली बैठक के लिए सूचना उसी समय दी जाएगी। स्थगित बैठक के पुनः होने पर कोरम का बंधन नहीं रहेगा और उपस्थित सदस्यों द्वारा ही कार्यवाही सम्पन्न कर दी जाएगी।

37. **प्रकोष्ठ** :– प्रत्येक प्रदेश में 4 प्रकोष्ठ होंगे महिला प्रकोष्ठ, युवा प्रकोष्ठ, व्यापार व किसान प्रकोष्ठ, अनुसूचित एवं पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ। प्रकोष्ठ गठन करना या ना करना प्रत्येक प्रदेश अध्यक्ष पर निर्भर करता है और गठन करने से पूर्व इसके अध्यक्षों की नियुक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष से करवानी होगी।

38. राष्ट्रीय कार्यकारिणी व प्रदेश कार्यकारिणी की राष्ट्रीय अध्यक्ष से, जिला व ब्लॉक कार्यकारिणी की प्रदेश अध्यक्ष से मंजूरी लेनी होगी। मंजूरी के बिना कार्यकारिणी अवैध है। सभी राष्ट्रीय पदाधिकारियों, जोन अध्यक्षों व प्रदेश अध्यक्षों को राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्ति पत्र देंगे। प्रदेश पदाधिकारियों व कार्यकारिणी सदस्यों जिला प्रधानों व ब्लाक प्रधानों को नियुक्ति पत्र प्रदेश अध्यक्ष देंगे इनके पहचान पत्रों पर राष्ट्रीय अध्यक्ष या प्रदेश अध्यक्षों के हस्ताक्षर पद के अनुसार होंगे। प्रकोष्ठों के पहचान पत्रों पर केवल प्रदेशाध्यक्ष के हस्ताक्षर होंगे।

39. एसोसिएशन के पहचान पत्र और नियमावली सदस्यता फार्म व चन्दा प्राप्ति के कूपन छपवाने का कार्य प्रत्येक प्रदेशाध्यक्ष की जिम्मेवारी होगी। जिला अध्यक्ष की जिम्मेवारी होगी कि अपने ब्लॉक के अध्यक्षों और जिला से सम्बन्धित प्रदेश के सदस्यों को नियमावली की फोटोस्टेट प्रति उपलब्ध करवाएं।

40. एसोसिएशन के रिकार्ड में कार्यवाही रजिस्टर, सदस्यता रजिस्टर, कैश बुक, नियुक्ति पत्र रजिस्टर, डीसपैच रजिस्टर व रिसीव रजिस्टर होगा।

41. **अनुशासन की अवहेलना में निम्नांकितन शामिल हैं** :– जानबूझ कर एसोसिएशन के नियमों अथवा अधिकारी द्वारा दी गई आज्ञाओं की अवहेलना करना, एसोसिएशन के कार्यक्रमों तथा निर्णयों के विरूद्ध कार्य अथवा प्रचार करना, एसोसिएशन की प्रतिज्ञा, पद की गोपनीयता व निष्ठा की शपथ को तोड़ना, जानबूझ कर ऐसे कार्य करना जिससे एसोसिएशन की प्रतिष्ठा घटती हो या पदाधिकारियों के विरूद्ध प्रचार करना, व्यक्तिगत आक्षेप करना, एसोसिएशन के फण्ड व सदस्यों की भर्ती से सम्बन्धित कपटपूर्ण व्यवहार में शामिल होना आदि।

42. अनुशासन की अवज्ञा होने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के लिए राष्ट्रीय व प्रदेश स्तर पर अनुशासन कमेटी होगी और इन कमेटियों का गठन क्रमशः राष्ट्रीय अध्यक्ष व प्रदेशाध्यक्ष करेंगे। दोनों कमेटियों के निर्णय के विरूद्ध अन्तिम अपील राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास होगी और उनका निर्णय अन्तिम होगा।

प्रदेश अनुशासन कमेटी :– प्रदेशाध्यक्ष इसका चेयरमैन होगा और इसमें प्रदेश कमेटी के दो उपप्रधान, एक महासचिव, एक संगठन सचिव, एक सचिव और सम्बन्धित जिले का जिला प्रधान इसका सदस्य होगा। एसोसिएशन के सभी सदस्यों के अनुशासनहीनता के सभी केसों पर विचार करेगी और 15 दिनों के अन्दर अपना निर्णय सर्वसम्मति से या बहुमत से देगी। मीटिंग के कोरम के लिए तीन सदस्य होने आवश्यक हैं। इसका कार्यालय सम्बन्धित प्रदेशाध्यक्ष का कार्यालय होगा। इस कमेटी के निर्णय के विरूद्ध अपीलकर्ता 10 दिनों में राष्ट्रीय कमेटी में अपील कर सकता है।

राष्ट्रीय अनुशासन कमेटी :– इस कमेटी की चेयरमैन राष्ट्रीय प्रथम महासचिव होगा और इसमें दो उपप्रधान, एक महासचिव, एक संगठन सचिव, एक सचिव इसके सदस्य होंगे। यह कमेटी प्रदेश अनुशासन कमेटी के फैसले के विरूद्ध अपील सुनेगी और 15 दिनों में अपना निर्णय सर्वसम्मति से या बहुमत से देगी। मीटिंग के कोरम के लिए तीन सदस्य होने आवश्यक हैं। इस कमेटी का मुख्यालय, जोन कार्यालय हिसार होगा और कैम्प कार्यालय सम्बन्धित प्रदेश का कार्यालय होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष से अनुमति लेकर किसी अन्य स्थान पर भी मीटिंग हो सकती है।

अपीलकर्ता यदि चाहे तो इसके निर्णय के विरूद्ध 10 दिनों में राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास अपील कर सकता है।

नोट : प्रदेशाध्यक्ष के विरूद्ध, जोन अध्यक्ष व राष्ट्रीय पदाधिकारियों और किसी भी स्तर के पदाधिकारी के विरूद्ध राष्ट्रीय कमेटी अपील सुन सकती है परन्तु राष्ट्रीय अध्यक्ष के किसी भी निर्णय और किसी भी कार्य के प्रति कोई अपील नहीं हो सकती। उनका निर्णय एसोसिएशन के अन्दर अन्तिम होगा।

43. **अनुशासनहीनता में दण्ड की व्यवस्था इस प्रकार है** :– कमेटी के मामले में इसका विघंटन, अनुशासन भंग करने वाले पदाधिकारियों व सदस्यों के विरूध पद के स्तर को कम करना – पद से हटाया जाना या सदस्यता से हटाया जाना या निश्चित समय के लिए सदस्यता के निमित अयोग्य करार दिया जाना।

44. एसोसिएशन के पदाधिकारियों का वरिष्ठता क्रम निम्न प्रकार से है:–

1. राष्ट्रीय अध्यक्ष 2. जोन अध्यक्ष/वरिष्ठ राष्ट्रीय उपप्रधान 3. राष्ट्रीय महासचिव प्रथम, 4. राष्ट्रीय पदाधिकारी संगठन सचिव तक, 5. प्रदेशाध्यक्ष, 6. राष्ट्रीय पदाधिकारी अन्य,

7. प्रदेश कार्यकारी प्रधान, 8 प्रदेश प्रकोष्ठ प्रधान, 9. प्रदेश उपप्रधान 10. प्रदेश महासचिव 11. प्रदेश कार्यकारी प्रधान प्रकोष्ठ 12. प्रदेश के अन्य पदाधिकारी, 13 जिला प्रधान, 14 जिला प्रधान प्रकोष्ठ, 15 हल्का प्रधान, 16 हल्का प्रधान प्रकोष्ठ, 17 जिला के अन्य पदाधिकारी व 18. अन्य हल्का पदाधिकारी।

नोट : पदाधिकारी क्रमांक अनुसार होंगे।

45. राष्ट्रीय अध्यक्ष के तीन निजी सहायक होंगे जिनमें पुरूष या महिला हो सकते हैं। इनमें से एक पी.एस. व दो निजी सहायक होंगे। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के महासचिव स्तर का पदाधिकारी पी.एस. होगा और किसी भी प्रदेश के महासचिव स्तर के पदाधिकारी को निजी सहायक नियुक्त किया जाएगा। यह नियुक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष करेंगे। इनका कार्यकाल राष्ट्रीय अध्यक्ष के विश्वास पर निर्भर करेगा। इनको राष्ट्रीय फण्ड से भत्ता मिलेगा व जिन मोबाइल सिमों का प्रयोग करेंगे उनकी जानकारी अध्यक्ष को देना आवश्यक होगा।

46. संगठन के चुनाव :–

सभी प्रदेशों में सभी स्तर के चुनाव राष्ट्रीय अध्यक्ष की निगरानी में होगें और राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यालय से राष्ट्रीय कार्यकारिणी व प्रदेश के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा होगी। प्रदेश चुनाव अधिकारियों की चुनाव की नियुक्ति के साथ समय व तिथि की सूचना जारी होगी और प्रत्येक जिला निर्वाचन अधिकारी इसकी सभी को सूचना देगा और निर्धारित समय पर चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों से उनके फार्म सदस्यता शुल्क अनुदान के साथ समय पर जमा करवाएगें। जीतने वाले प्रत्याशी की राशि जमा कर ली जाएगी और पराजित प्रत्याशी की राशि वापिस कर दी जाएगी। राशि के विषय में और चुनाव प्रक्रिया के बारे में निर्देश जिला निर्वाचन अधिकारी को लिखित रूप में अलग से दिए जाएंगे। विजयी पदाधिकारियों को नियम 20 के अनुसार अनुदान जमा करवाना होगा और क्रियाशील सदस्य बनाने होंगे। चुनाव कार्यक्रम मौजूदा कमेटी के कार्यकाल पूरा होने से 2 महीने पूर्व शुरू हो जाएगा और पिछली कमेटी का कार्यकाल समाप्त होने के दिन से ही नई कमेटी अपना कार्य शुरू कर देगी। राष्ट्रीय पदाधिकारियों, जोन अध्यक्षों व प्रदेश अध्यक्षों व प्रदेश पदाधिकारियों का चुनाव नहीं होगा। इनकी नियुक्तियां होगी परन्तु इन पदों पर आने से पूर्व उन्हें प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य बनना आवश्यक है। प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य के लिए चुनाव होगा। प्रदेश पदाधिकारी, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य, जिला प्रधान व ब्लॉक प्रधान बनने के लिए उसे डेलीगेट सदस्य होना जरूरी है और डेलीगेट ही इन पदों के लिए मतदाता होंगे।

47. जोन अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्षों, प्रदेश कार्यकारी प्रधान, प्रकोष्ठों के प्रदेश प्रधानों व कार्यकारी प्रदेश प्रधानों का शपथग्रहण समारोह होना आवश्यक है और यह नियुक्ति के दो माह के अन्दर होना जरूरी है।

48. राष्ट्रीय कार्यालय व प्रदेश कार्यालय बुधवार से सोमवार तक समयानुसार खुले रहेंगे। केवल मंगलवार को कार्यालय बन्द रहेगा। सामान्यतया कार्यालयों का समय 11 से 3 बजे तक होगा। राष्ट्रीय कार्यालय में कम्प्यूटर, टेलीफोन, फैक्स व कार्यालय स्टाफ में राष्ट्रीय अध्यक्ष का निजी सहायक, सुरक्षा गार्ड, कम्प्यूटर ऑपरेटर, कार्यालय सचिव, ड्राईवर व सेवादार आदि होंगे। इन सभी का वेतन कार्यालय से दिया जाएगा और इसी प्रकार प्रदेश कार्यालय में भी यह सुविधा उपलब्ध फण्ड के अनुसार होगी। राष्ट्रीय कार्यालय का प्रभारी सचिव राष्ट्रीय महासचिव स्तर का पदाधिकारी होगा और यदि वह चाहे तो कार्यालय सचिव के रूप में भी कार्य कर सकता है। प्रदेश कार्यालय का प्रभारी सचिव प्रदेश स्तर का महासचिव होगा। यदि वह चाहे तो कार्यालय सचिव के रूप में भी कार्य कर सकता है। इनमें पुरूष या महिला कोई भी हो सकता है।

———————